<u>न्यायालय - सेशन न्यायाधीश, झालावाड़, जिला झालावाड (राज.)</u>

पीठासीन न्यायाधीश – **आलोक सुरोलिया,** आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

<u>आप. विविध जमानत आवेदन सं **379/2026**</u>

<u>सी.आई.एस. नंबर **364/2026**</u>

शिवम पुत्र प्रेमचंद, उम्र 21 साल, निवासी सारोलाकलां, पुलिस थाना सारोलाकलां, जिला झालावाड(राज.)

-प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य। **-अप्रार्थी/अभियोगी**

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा **483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,**
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **91/2026** पुलिस थाना **सारोलाकलां**
अपराध अंतर्गत **धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम**

<u>उपस्थित</u>

1.श्री श्यामसिहं पंवार, अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त।
2.श्री नरेन्द्र तोमर, लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

<u>आदेश</u> **दिनांक 06.06.2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का **प्रथम** प्रार्थना-पत्र अंतर्गत **धारा 483 B.N.S.S.** में प्रस्तुत किया गया जिसे नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी राजपाल गोदारा परिवर्तन निरीक्षक थाना सारोला ने दिनांक 15.4.2026 को थानाधिकारी पुलिस थाना सारोलाकलां के समक्ष उपस्थित होकर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि उसके द्वारा सारोलाकला में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास स्थित श्री श्याम किराना स्टोर व टी-स्टॉल पर घरेलू गैस की कालाबाजारी हेतु छापेमारी की गई जिसमें उक्त स्थल से 15 गैस सिलेंडर जिसमें 14 खाली व एक भरा हुआ बिना सील लगे व एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर मिली जिसके संबंध में मौके पर मौजूद युवक जिसने अपना नाम शिवम प्रजापत पुत्र प्रेमचंद बताया, से मांगने पर कोई वैद्य दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे उक्त स्थल पर गैस की कालाबाजारी व अवैध रिफिलिंग होने

पर उक्त 15 सिलेंडर मय एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर को मौके पर जप्त किया गया। इत्यादि। इस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया जो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है। अभी प्रकरण में अनुसंधान जारी है।

3. बहस जमानत प्रार्थना-पत्र सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा प्रार्थना-पत्र के वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए दौराने बहस निवेदन किया गया कि प्रार्थी निर्दोष है, उसका अपराध से कोई संबंध नहीं है, उसको झूंठा फंसाया गया है। उससे कोई अनुसंधान शेष नहीं है। प्रार्थी काफी समय से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण के अनुसंधान व बाद में आरोप-पत्र प्रस्तुत होने की स्थिति में प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। उसके बाद जमानत भागने-फरार होने अथवा गवाहान को डराने धमकाने का कोई अंदेशा नहीं है। प्रार्थी न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों की पालना करने को तत्पर है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जावे।

5. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जमानत का प्रार्थना-पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

6. उभय पक्ष के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक मनन करते हुए केस डायरी का अवलोकन किया गया।

7. केस डायरी के अवलोकन से प्रकट है कि पुलिस द्वारा अब तक के अनुसंधान से इस प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध **धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम** का अपराध प्रथम दृष्टया बनना पाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त **दिनांक 04.06.2026** से पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई अनुसंधान शेष नहीं होना बताया गया है। अनुसंधान पत्रावली के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का आपराधिक रेकार्ड **निल** बताया गया है। प्रकरण के अनुसंधान व उसके उपरांत आरोप-पत्र प्रस्तुत होने की स्थिति में प्रकरण के विचारण में समय लगने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रकरण के तथ्यों-परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त निष्कर्ष, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई निष्कर्ष नहीं है और केवल जमानत आवेदन को तय करने हेतु लिया गया निष्कर्ष मात्र है।

8. अतः उक्त प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत हस्तगत जमानत का प्रार्थना-पत्र **स्वीकार** कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से **विद्वान विचारण न्यायालय** के संतोषप्रद **50,000/-रूपये** का स्वयं का **बंधपत्र** व **25,000-25,000/-रूपये** की **दो जमानतें** प्रस्तुत कर तस्दीक करा दी जावें तो प्रार्थी/अभियुक्त को **इस प्रकरण** में जमानत पर आजाद कर दिया जावे। आदेश की प्रति जरिए **ईमेल** संबंधित न्यायालय को अविलंब प्रेषित की जावे।

(आलोक सुरोलिया)
सेशन न्यायाधीश,
झालावाड़ (राज.)

9. आदेश आज दिनांक **06.06.2026** को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(आलोक सुरोलिया)
सेशन न्यायाधीश,
झालावाड़ (राज.)

आप.वि.जमानत आवेदन संख्या **379/2026**
शिवम बनाम राज.राज्य

<u>प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि निर्णय/आदेश में किये गये सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

अब्दुल माजिद
स्टेनो ग्रेड-।

नोटः यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।